अध्याय III

वित्तीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की प्रमाणिकता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता तथा अनुषांगिक वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है कि नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णय निधियों का विचलन किए बिना प्रशासनिक स्तर पर कार्यान्वित है। यह विनियोग लेखे के अंकेक्षण पर आधारित है एवं विनियोग के अनुदान–वार विवरणी एवं सेवा प्रदाय विभागों द्वारा इन आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की शैली को प्रदर्शित करता है।

3.1.1 बजट प्रक्रिया

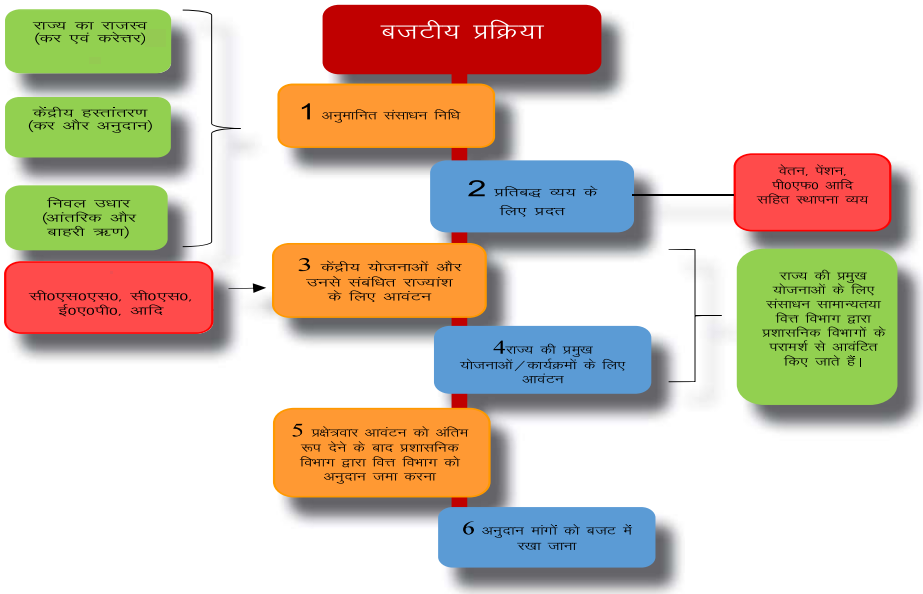
बजट की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये विस्तृत रोडमैप का एक माध्यम है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के अगस्त–सितम्बर में वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी किये जाने के साथ ही बजट प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें शामिल निर्देशों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों की तैयारी किये जाने हेतु सभी विभागों को पालन करना होता है।

बिहार सरकार ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी वित्तीय गतिविधियों के निर्बाध एकीकरण हेतु व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) के रूप में एक परियोजना शुरू की है जो कि वर्तमान व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी0टी0एम0आई0एस0) को प्रतिस्थापित करता है। बजट की तैयारी सी0एफ0एम0एस0 के तहत बजट प्रबंधन के उप–अनुखंडों में से एक है।

विधायी प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के व्यय हेतु अनिवार्य शर्त है। राज्य सरकार ने वित्तीय नियमों का गठन किया है एवं व्यय हेतु वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है और अधिकृत स्तर द्वारा ऐसे व्यय के विनियोग और पुनर्विनियोग को प्रतिबंधित सीमा के अन्दर स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकार के स्तर का निर्धारण किया है। अनुपूरक अनुदान के अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के अन्दर राशि का पुनः आवंटन करने के लिए भी किया जा सकता है।

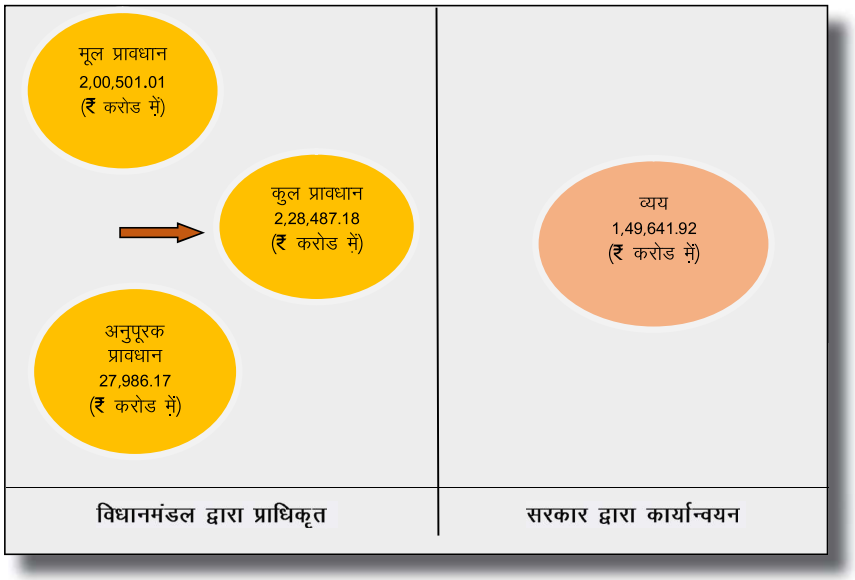
राज्य में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे दिए गए **चार्ट 3.1** में दी गई है।

चार्ट 3.1



बजट के विभिन्न घटकों को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट नं 3.2: बजट के घटक



कई अनुदानों में अनुपूरक प्रावधान पूर्ण रूप से अनावश्यक थे क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था (विवरण पर कंडिका 3.4 में चर्चा की गई है)।

3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य की सारभूत स्थिति जिसे दत्तमत और भारित के रूप में द्विभाजित करते हुए नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत / आधिक्य	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
राजस्व	1,65,461.84	12,190.51	1,15,075.82	12,025.85	50,386.02	164.66[14]
पूँजीगत	43,167.30	7,667.53	15,430.42	7,109.83	27,736.88	557.70
कुल	**2,08,629.14**	**19,858.04**	**1,30,506.24**	**19,135.68**	**78,122.90**	**722.36**

(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

3.1.3 भारित एवं दत्तमत संवितरण

पिछले पाँच वर्ष (2015–20) के दौरान भारित एवं दत्तमत में किये गए कुल संवितरण का विवरण **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2015–16 से 2019–20 के दौरान भारित एवं दत्तमत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2015-16	1,01,450.02	11,848.75	34,905.20	227.61
2016-17	1,14,849.67	13,148.65	40,976.08	377.23
2017-18	1,26,263.69	14,683.63	45,757.76	638.90
2018-19	1,42,022.59	18,294.88	48,352.56	819.60
2019-20	1,30,506.24	19,135.68	78,122.90	722.36

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

[14] अनुदान संख्या 32 में ₹ 2.30 करोड का अधिकाई व्यय सम्मिलित है।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम द्वारा बजट के दोनों मदों, भारित और दत्तमत के रूप में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण तथा पुनर्विनियोगों को अलग–अलग दर्शाता है एवं विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत और राजस्व व्यय को इंगित करता है। इस प्रकार विनियोग लेखे, निधि के उपयोग, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझना सुगम करता है।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक विनियोग के अंकेक्षण से यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के अनुसार है अथवा नहीं और ऐसे व्यय जिसे संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने की आवश्यकता है उसे निर्दिष्ट प्रकार से प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय सम्पूर्णता और लेखा प्रक्रिया पर टिप्पणियाँ

बजट अखंडता का अर्थ है कि सार्वजनिक धन को जनहित के अनुसार उपयुक्त रूप से व्यय किया जाए। बजट विश्वसनीय होना चाहिए एवं राजकोषीय और वित्तीय प्रतिवेदन में निहित सूचनाएँ विश्वसनीय होनी चाहिए। बजट की अखंडता और जवाबदेही अंततः व्यय को वास्तविक रूप से नियोजित करने, अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को ससमय और कुशलतापूर्वक लागू करने की विभाग की क्षमता पर निर्भर करेगी। सटीक और समय पर बजट प्रतिवेदन बनाने की विभाग की क्षमता में सुधार के द्वारा, सरकार बजट की संपूर्णता में सुधार और लोक निधि के उपयोग के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी।

3.3.1 विधायी प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोग को छोड़कर, राज्य की समेकित निधि से किसी धन की निकासी नहीं की जा सकती। राज्य के आकस्मिकता निधि से पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान, विनियोग, या अग्रिम द्वारा अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रावधानित राशि के बिना किसी नई योजना अथवा पूर्व से मौजूद योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जा सकता है। बजट प्रावधान के बिना खर्च का विवरण **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: बजट प्रावधान के बिना व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	खातों का विवरण	व्यय
1.	17	2040-00-101-0001- जिला प्रभार	1.63
2.	20	2211-00-001-0104- मानव संसाधन में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा	3.61
3.	22	2055-00-111-0001- टिकट रहित यात्रियों के खिलाफ ड्राइव	2.71
4.		2055-00-800-0001- अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति पर व्यय	0.45
5.		2055-00-800-0004- आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा पर व्यय (केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति)	0.06
6.	48	2217-80-800-0125- ई–गवर्नेंस/शहरी सुधार कार्यक्रम और उसके समकक्ष कार्यक्रम	4.80
7.	51	2236-02-101- गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पौष्टिक आहार वितरण की योजना	5.32
योग			**18.58**

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे)

मूल/अनुपूरक बजटीय प्रावधान के बिना इन व्ययों को किया जाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हैं। उत्तर/जबाव प्रतीक्षित है (मई 2021)।

3.3.2 राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप या इनके विपरीत गलत वर्गीकरण

पूँजीगत व्यय मुख्य रूप से स्थायी प्रकृति की यथार्थपूर्ण संपत्तियों के निर्माण/ अर्जन/वृद्धि करने या स्थायी उत्तरदायित्व को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। स्थापना एवं प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए और अपनी संपत्ति के रखरखाव के लिए किए गए अन्य सभी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान, स्थापना एवं प्रशासनिक शीर्षों पर ₹ 50.45 करोड़ का व्यय किया गया था जिसे पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। विवरण **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 3.4 राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	गलत वर्गीकरण का प्रकार	राशि
1.	वेतन	42.49
2.	वाणिज्यिक और विशेष सेवाएं	4.58
3.	कार्यालय व्यय	2.58
4.	यात्रा व्यय	0.10
5.	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.32
6.	पोशाक और वर्दी	0.06
7.	किराया दर और कर	0.26
8.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.06
कुल		**50.45**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कुल पूँजीगत व्यय के आँकडों में वृद्धि हुई।

3.3.3 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

जब ऐसे अतिरिक्त व्यय जो कि अपरिहार्य हो, और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उस अनुदान में अतिरिक्त राशि के बचत होने की कोई सम्भावना न हो जिसे पुनर्विनियोग के माध्यम से पूरा किया जा सके, तब सम्बंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन के लिए प्रस्ताव रखते हैं।

2019–20 के दौरान, 51 मामलों (39 अनुदान/विनियोग) में, ₹ 21,084.50 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए और शत्–प्रतिशत अप्रयुक्त रहे जबकि व्यय (₹ 1,14,219.75 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,62,210.58 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में वर्णित है।

यद्यपि, सात महत्वपूर्ण मामले ऐसे थे जहाँ ₹ 15,070.29 करोड़ (प्रत्येक मामले में 1000 करोड़ और अधिक) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है।

तालिका 3.5: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1,000 करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में हुई बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1.	16- पंचायती राज विभाग	11,956.31	1,420.04	8,689.62	3,266.69
2.	20- स्वास्थ्य विभाग	7,693.06	1,590.75	6,960.84	732.22
3.	21- शिक्षा विभाग	34,027.21	3,033.56	25,958.41	8,068.80

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में हुई बचत
4.	39- आपदा प्रबंधन विभाग	4,314.76	3,037.12	3,621.18	693.58
5.	42- ग्रामीण विकास विभाग	15,639.03	2,924.05	9,692.46	5,946.57
6.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	5,148.79	1,086.25	2,984.53	2,164.26
(अ)	**कुल राजस्व (दत्तमत)**	**78,779.16**	**13,091.77**	**57,907.04**	**20,872.12**
7.	पूंजीगत (दत्तमत)				
8.	49- जल संसाधन विभाग	2,529.66	1,978.52	954.33	1,575.33
(ब)	**कुल पूंजीगत (दत्तमत)**	**2,529.66**	**1,978.52**	**954.33**	**1,575.33**
	कुल योग	**81,308.82**	**15,070.29**	**58,861.37**	**22,447.45**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

पर्याप्त कारण के अभाव में, मूल अनुदानों में बचत के बावजूद अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए थे। इस प्रकार, अन्य विभाग अपूर्ण योजनाओं के लिए धन प्राप्त नहीं कर सके।

3.3.4 अनावश्यक और अत्यधिक पुनर्विनियोग

30 अनुदानों/विनियोगों के 67 विस्तृत शीर्षों के तहत ₹ 202.73 करोड़ का पुनर्विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 143.33 करोड़ का समर्पण किया गया था और अंतिम बचत ₹ 880.95 करोड़ था ***(परिशिष्ट 3.2)***।

यह भी पाया गया कि 8 अनुदानों/विनियोगों के 16 विस्तृत शीर्षों को पुनर्विनियोग के माध्यम से ₹ 1,008 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई जो कि ₹ 324.49 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.3)*** की बचत (प्रत्येक मामले में 50 लाख से अधिक) को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक साबित हुई। यह वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन किए बिना अविवेकपूर्ण ढंग से पुनर्विनियोजन किये जाने का संकेत करता है।

कुल 51 अनुदानों में से 15 अनुदानों/विनियोगों के तहत 59 मामलों में ₹ 106.67 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोग किया गया था जिसके लिए पुनर्विनियोजन आदेश जो 31 मार्च 2020 को जारी किये गए थे। जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4*** में दर्शाया गया है। विशिष्ट कारणों के बिना पुनर्विनियोग, व्यय–नियंत्रण तंत्र में कमी की ओर संकेत करता है।

पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधानों में की गयी वृद्धि अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुई क्योंकि व्यय, मूल/अनुपूरक बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं हो सका था।

3.3.5 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़े बचत/समर्पण

प्रशासनिक और वित्त विभागों को अनुमानों की गणना करते समय पिछले वास्तविकों के औसत से लगातार सिद्ध हो चुके और अच्छी तरह से परखे जा चुके नियंत्रण को लागू करना चाहिए। उन सभी ज्ञात या यथोचित प्रत्याशित तथ्यों के साथ इसकी जांच करनी चाहिए जो उस औसत को संशोधित कर सकता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, 49 अनुदानों से संबंधित दत्तमत एवं भारित व्यय के अंतर्गत बचत के ऐसे 51 मामलों में ₹ 77,502.41 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 2,06,717.97 करोड़ का 37.49 प्रतिशत) प्रत्येक ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की राशि के थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5*** में दर्शाया गया है।

आगे, कुल अनुदान/विनियोग और व्यय के बीच महत्वपूर्ण विविधता (प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत और अधिक), 42 अनुदानों/विनियोगों के तहत ₹ 72,976.16 करोड़ के बचत की ओर ले जाती है। जिसके कारणों को विनियोग लेखे में उचित रूप से नहीं बताया गया है जैसा की ***परिशिष्ट 3.6*** में विस्तृत है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक अनुदानों/विनियोगों के ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के बचतों वाले मामलों की जाँच से पता चला की 26 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 29 मामलों में कुल ₹ 29,680.66 करोड़ और अधिक के सतत् बचत हुए जैसा कि ***परिशिष्ट 3.7*** में विस्तृत है। निरंतर बचत यह संकेत करता है कि बजट आवंटन पिछले वर्षों के व्यय पर विचार किए बिना किया गया था। वर्ष 2019–20 में 50 प्रतिशत से कम के बजट उपयोग को **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग (2019–20)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	वर्षों की संख्या*	बजट 2019–20
1.	3	59.06	50.78	51.50	72.75	29.78	1	5,988.35
2.	4	71.54	78.95	60.02	62.03	49.19	1	618.89
3.	5	76.99	78.57	70.42	84.69	4.31	1	30.89
4.	9	67.16	66.55	78.62	62.61	25.77	1	2,302.61
5.	23	71.77	77.53	73.35	85.01	46.78	1	930.47
6.	30	90.25	87.52	50.68	57.59	48.98	1	510.22
7.	37	84.45	94.55	68.71	34.37	29.41	2	12,067.97
8.	39	14.09	32.90	65.60	34.07	49.22	4	7,357.68
9.	41	88.18	90.56	88.33	90.51	36.50	1	7,605.56
10.	46	67.98	19.34	83.84	43.72	16.23	3	314.74
11.	48	62.80	73.07	64.11	61.52	49.17	1	6,395.04
12.	49	87.62	74.95	69.74	94.17	31.97	1	5,669.12
13.	50	52.59	57.97	61.01	81.10	31.30	1	1,629.69

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

* 50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

इन 13 अनुदानों में से तीन अनुदान ऐसे हैं जिनका बजट उपयोग पिछले पांच वर्षों में दो या उससे अधिक बार 50 प्रतिशत से कम था। अनुदान 37 (ग्रामीण कार्य विभाग) के तहत मुख्य बचत मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और ग्रामीण संपर्क निश्चय योजना जैसी पूंजीगत योजनाओं के तहत थी। अनुदान 39 (आपदा प्रबंधन विभाग) के अन्तर्गत बचत क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और पुनःस्थापन, क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली की मरम्मत, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली और कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) जैसी राजस्व योजनाओं के तहत थी। अनुदान 46 (पर्यटन विभाग) के अन्तर्गत बचत पर्यटन संरचनाओं के विकास जैसी पूंजीगत योजनाओं में प्रदर्शित है।

मार्च 2020 के अंत में अभ्यर्पित राशि की जाँच (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ और अधिक) से पता चला कि 16 अनुदानों के अन्तर्गत ₹ 16,198.55 करोड़ का अभ्यर्पण था जैसा कि **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है। 15 अनुदानों के तहत अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि मूल प्रावधान के स्तर तक भी व्यय का नहीं होना निधियों के गलत आकलन की ओर संकेत करता है।

तालिका 3.7: मार्च 2020 के अंत में ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक की राशि के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

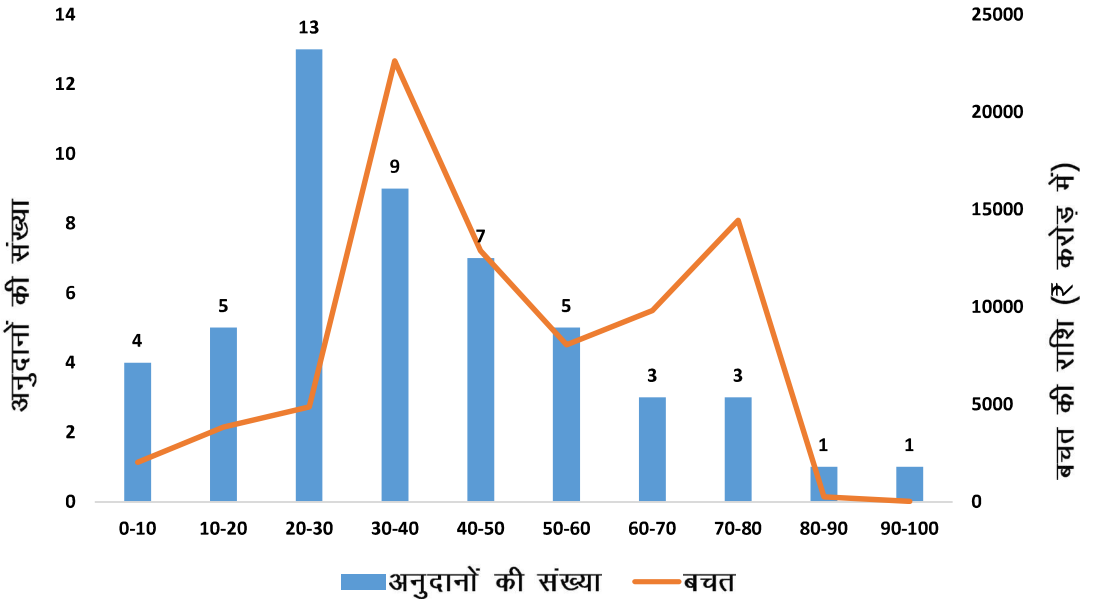
क्रम सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
1.	1	2,958.77	660.07	3,618.84	2,152.49	1,466.35	423.06
2.	3	5,375.06	613.29	5,988.35	1,783.34	4,205.01	250.00
3.	6	536.51	398.28	934.79	610.85	323.94	160.00
4.	9	1,997.71	304.90	2,302.61	593.29	1,709.32	139.35

क्रम सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
5.	12	2,049.96	80.07	2,130.03	1,645.52	484.51	245.90
6.	16	12,206.31	1,420.04	13,626.35	8,734.75	4,891.60	146.68
7.	21	34,798.69	3,425.98	38,224.67	26,084.00	12,140.67	1,413.94
8.	23	821.39	109.08	930.47	435.26	495.21	102.50
9.	35	2,488.95	67.15	2,556.10	1,372.42	1,183.68	151.86
10.	37	10,917.97	1,150.00	12,067.97	3,549.02	8,518.95	4,746.66
11.	39	4,320.56	3,037.12	7,357.68	3,621.18	3,736.50	1,594.41
12.	40	886.80	85.11	971.91	561.72	410.19	140.31
13.	41	7,005.56	600.00	7,605.56	2,776.07	4,829.49	1,487.78
14.	42	15,669.04	2,924.05	18,593.09	9,692.46	8,900.63	3,382.74
15.	49	3,652.30	2,016.82	5,669.12	1,812.40	3,856.72	306.47
16.	51	7,037.73	2,677.60	9,715.33	7,376.09	2,339.24	1,506.89
कुल		**1,12,723.31**	**19,569.56**	**1,32,292.87**	**72,800.86**	**59,492.01**	**16,198.55**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के लिए विनियोग लेखे)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि, अनुपूरक प्रावधान होने के बावजूद, ₹ 100 करोड़ से अधिक के अभ्यर्पण वाले 16 अनुदानों में मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया, जिससे अनुपूरक प्रावधान निष्फल हो गए। आगे, छः अनुदानों में अभ्यर्पण की राशि अनुपूरक प्रावधानों से भी अधिक थी। इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या[15] 3, 37, 41 और 49 मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय करने के लिए जिम्मेदार विभाग के बजट प्रावधानों के 70 प्रतिशत से अधिक की बचत दर्शाते हैं। जल संसाधन विभाग से संबंधित अनुदान 49 ने मूल बजट प्रावधानों के 106 प्रतिशत की बचत प्रदर्शित किया।

चार्ट 3.3: वर्ष 2019–20 की कुल बचत एवं बचत के प्रतिशत के अनुसार समूहित अनुदानों / विनियोगों की संख्या



(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

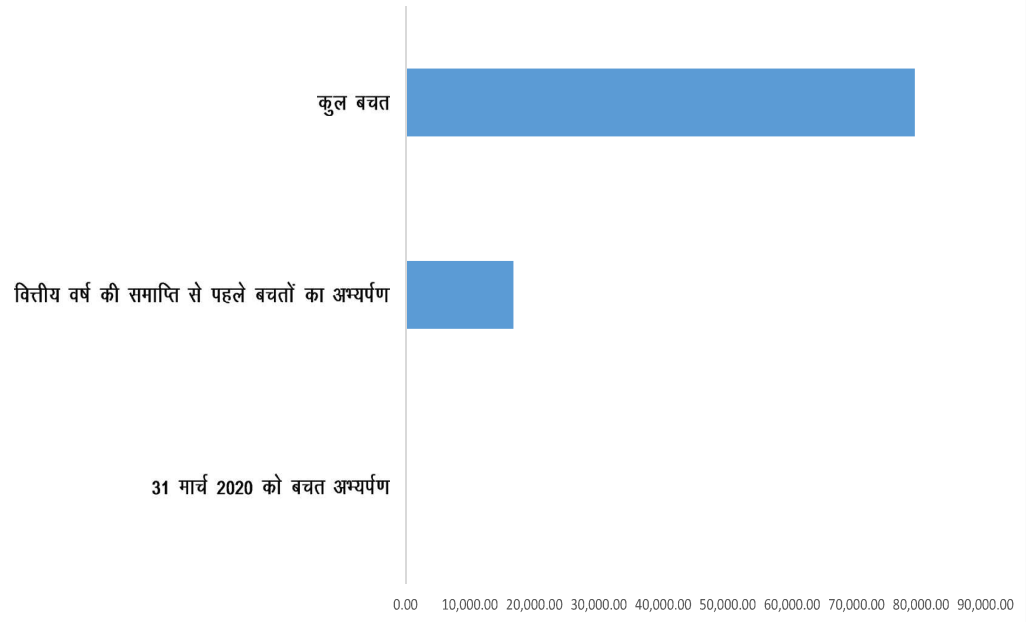
उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि 51 अनुदानों में से 31 अनुदानों में बजट प्रावधानों का उपयोग 40 प्रतिशत से कम है और केवल 2 अनुदानों में उपयोग 80 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए, राज्य को

[15] 3–भवन निर्माण विभाग, 37–ग्रामीण कार्य विभाग, 41– पथ निर्माण विभाग, 49– जल संसाधन विभाग

उनकी बजट पद्धति का पुनरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि सभी अनुदानों में से 60 प्रतिशत अनुदान अपने आवंटित बजट प्रावधानों के 40 प्रतिशत का भी उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2019–20 की समाप्ति से पहले बचत और समर्पण

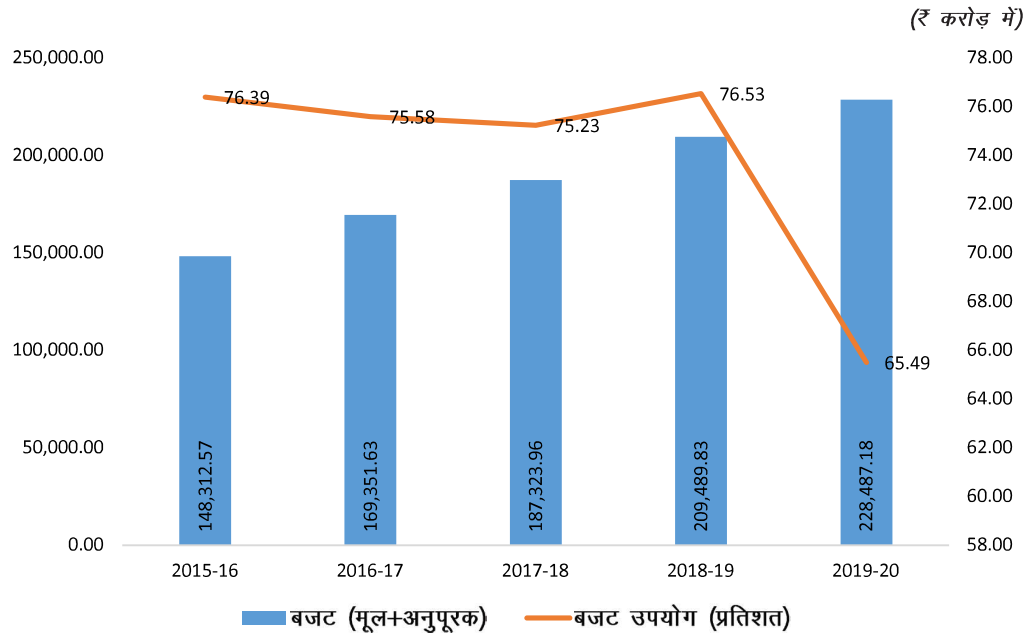
(₹ करोड़ में)



(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

चार्ट 3.5: 2015–16 से 2019–20 के दौरान बजट उपयोग

(₹ करोड़ में)



(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण बचत का एक कारण केंद्र सरकार से राशि की विलम्ब से प्राप्ति हो सकती है, चूँकि केंद्रीय निधि का बड़ा भाग अक्टूबर 2019 (55.91 प्रतिशत), फरवरी 2020 (17.08 प्रतिशत) और मार्च 2020 (18.51 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया कि अत्यधिक बचत/अभ्यर्पण के कारणों में अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण, और वित्तीय वर्ष के अंत में निधि को जारी करना है। अत्यधिक बचत अन्य विभागों को भी निधि से वंचित करती है, जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

3.3.6 अधिकाई व्यय और उसका नियमन

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) में यह प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर कोई धनराशि उस वित्तीय वर्ष में उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक व्यय की गई है, तो राज्यपाल इस हेतु आधिक्य की मांग राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि, राज्य सरकार वित्तीय वर्ष में अनुदानों/विनियोगों में प्रावधान के आधिकाई व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा अनिवार्य रूप से नियमन करायेगी।

यद्यपि, अधिकाई व्यय के नियमन की कोई समय सीमा इस अनुच्छेद के अन्तर्गत निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे की चर्चा पूरी होने के बाद अधिकाई व्यय का नियमन किया जाता है। ऐसा करने में विफल होना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और लोकनिधि के उपयोग पर विधायिका द्वारा कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करती है।

3.3.6.1 वित्तीय वर्ष से संबंधित अधिकाई व्यय जिसके लिए प्रतिवेदन प्रस्तावित है

वर्ष के लिए प्रावधान से अधिकाई व्यय न सिर्फ विधायी मंजूरी की आवश्यकता के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसे प्रयोजन के लिए किए गए बजट के विरुद्ध किये जा रहे व्यय की निगरानी द्वारा बचा जा सकता था।

वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि अनुदान 32–विधानमंडल के अंतर्गत राजस्व (प्रभारित) खंड में ₹ 2.30 करोड़ का अधिकाई व्यय था जैसा कि नीचे **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: वत्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोगों पर अधिक संवितरण

(₹ करोड़ में)

		अनुदान सं0 एवं नाम	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
भारित	राजस्व	32- विधान मंडल	1.16	3.46	2.30

(स्रोतः वित्तीय वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

अंतिम आधिक्य का कारण सूचित नहीं किया गया है (जनवरी 2021)।

3.3.6.2 पिछले वित्तीय वर्ष के अधिकाई व्यय का नियमितीकरण

संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत 1987–88 से 1996–97 की अवधि से संबंधित ₹ 657.98 करोड़ के अधिक व्यय के 10 मामले विचाराधीन थे और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 1989–90 के एक मामले में ₹ 0.35 करोड़ की राशि के नियमितीकरण के लिए 04 फरवरी 2021 को अनुशंसा की गई थी।

पूर्ववर्त्ती वर्षों (2015–20) से संबंधित अधिकाई व्यय की जाँच की गई और पाया गया कि योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत 2015–16 के एक मामले में ₹ 119.01 करोड़ को नियमित किया गया था (13 अप्रैल 2018)।

तालिका 3.9: पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित नियमितीकरण वाले व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग विवरण	अतिरिक्त राशि को विनियोग लेखे में टिप्पणी के अनुसार नियमन की आवश्यकता	नियमितीकरण की स्थिति
1987-88	पशुपालन	6.92	मामला विचाराधीन है
1988-89		6.13	
1989-90		8.65	
1990-91		29.29	
1991-92		70.72	
1992-93		87.77	
1993-94		125.03	
1994-95		170.61	
1995-96		146.49	
1996-97		6.37	
कुल		**657.98**	

(स्रोतः महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के पी0ए0सी0 अनुभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ें)

3.4 बजट प्रावधान और अपेक्षा एवं वास्तविकी के बीच का अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न वित्तीय संकेतकों की प्राप्ति को संतुलित रखता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बजट (मूल/पूरक) प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति **तालिका 3.10** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.10: वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बजट (मूल/पूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	मार्च 2020 में अभ्यर्पित की गई राशि	मार्च 2020 में अभ्यर्पित बचतों की प्रतिशतता (कॉलम 8/कॉलम 6 *100)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दत्तमत	I- राजस्व	1,43,374.97	22,086.87	1,65,461.84	1,15,075.82	50,386.02	9,416.97	719.63	1.42
	II- पूँजीगत	36,592.62	4,955.17	41,574.79	14,764.12	26,783.67	7,068.30	1,302.54	4.86
	III- ऋण और अग्रिम	1,441.81	177.70	1,619.51	666.30	953.21	228.40	0	0
कुल दत्तमत		**1,81,409.40**	**27,219.74**	**2,08,629.14**	**1,30,506.24**	**78,122.90**	**16,713.67**	**2,022.17**	**2.59**
प्रभारित	IV. राजस्व	*11,855.68*	*334.83*	*12,190.51*	*12,025.85*	*164.66*	*0*	*0*	*0*
	V- पूँजीगत	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	VI- सार्वजनिक ऋण अदायगी	*7,235.93*	*431.60*	*7,667.53*	*7,109.83*	*557.70*	*0*	*0*	*0*
कुल प्रभारित		***19,091.61***	***766.43***	***19,858.04***	***19,135.68***	***722..36***	***0***	***0***	***0***
कुल योग		**2,00,501.01**	**27,986.17**	**2,28,487.18**	**1,49,641.92**	**78,845.26**	**16,713.67**	**2,022.17**	**2.56**

टिप्पणीः व्यय में ₹ 1,085.01 करोड़ की राशि के राजस्व व्यय की वसूली/वापसी और ₹ 2,460.21 करोड़ के पूंजीगत व्यय की वसूली व्यय में कमी के रूप में समायोजन शामिल है।

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान ₹ 2,28,487.18 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 1,49,641.92 करोड़ (65.49 प्रतिशत) का व्यय हुआ। यह दर्शाता है कि ₹ 27,986.17 करोड़ का पूरक प्रावधान परिहार्य था क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (₹ 2,00,501.01 करोड़) के स्तर तक भी नहीं आया था। ₹ 78,845.26 करोड़ की समग्र बचत, राजस्व भाग के अन्तर्गत 46 अनुदानों तथा आठ विनियोगों में ₹ 50,550.68 करोड़ की बचत तथा पूँजीगत भाग के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम भाग के सात अनुदानों

तथा लोक ऋण पुनर्भुगतान के एक अनुदान सहित 35 अनुदानों में ₹ 27,994.58 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप हुई।

₹ 78,845.26 करोड़ के कुल बचत में से केवल 21.20 प्रतिशत (₹ 16,713.67 करोड़) का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62,131.59 करोड़ के बचत (कुल बचत का 78.80 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ। कुल बचत अनुपूरक प्रावधान से 281.73 प्रतिशत अधिक थी। बजट में समग्र प्रावधान के सापेक्ष समग्र बचत और आधिक्य के प्रतिशत की प्रवृत्ति **तालिका 3.11** में दिखाया गया है।

तालिका 3.11: 2015–20 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

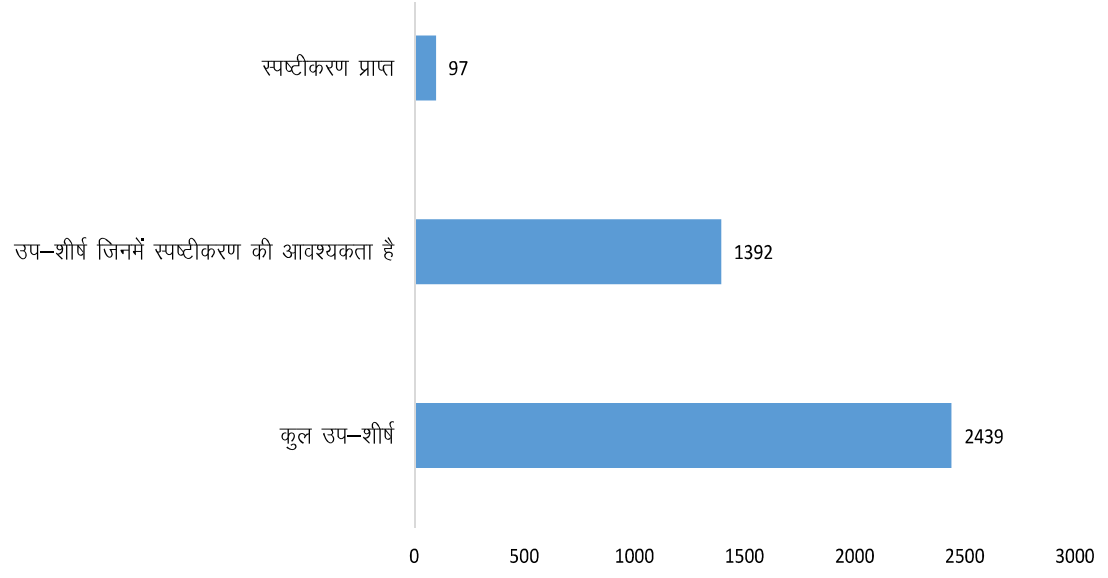
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मूल बजट	1,20,585.34	1,44,696.29	1,60,085.70	176,990.27	2,00,501.01
अनुपूरक बजट (मूल बजट का %)	27,627.23 ***(22.91)***	24,655.30 ***(17.04)***	27,258.26 ***(17.03)***	32,499.56 ***(18.36)***	27,986.17 ***(13.96)***
संशोधित अनुमान	1,32,849.48	1,54,327.47	1,72,884.28	1,90,918.72	2,17,759.54
वास्तविक व्यय	1,13,298.77	1,27,998.32	1,40,947.31	1,60,317.66	1,49,641.92
बचत/आधिक्य	35,013.80	41,353.31	46,396.66	49,172.17	78,845.26
बचत की प्रतिशतता	23.62	24.42	24.77	23.47	34.51

(स्रोतः विनियोग लेखे और बिहार सरकार के संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज)

प्रवृत्ति के विश्लेषण से पता चलता है कि विनियोग से संबंधित कुल बचत पिछले पाँच वर्षों के दौरान 23.47 प्रतिशत से 34.51 प्रतिशत तक के बीच था, जो महत्वपूर्ण है। यह निधियों का गलत आकलन तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है।

आगे, 46 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 498 विस्तृत लेखा शीर्षों में ₹ 9,419.90 करोड़ के संपूर्ण प्रावधान का शत–प्रतिशत उपयोग नहीं किये जाने के मामले थे। इन मामलों में से 31 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 87 मामलों में ₹ 8,606.35 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और अधिक) के कुल प्रावधान अप्रयुक्त थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.8*** में वर्णित है। निधियों का उपयोग न होने से पता चलता है कि बजट को या तो उचित दूरदर्शिता के बिना तैयार किया गया था या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुई थी। विनियोग लेखाओं में भिन्नता के मामले में प्राप्त स्पष्टीकरणों की स्थिति जिसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है को, चार्ट 3.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.6: विनियोग खातों में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश



(स्रोतः वर्ष 2019–20 के लिए विनियोग लेखे)

3.4.1 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

कभी–कभी, पूरक प्रावधान प्राप्त करते समय, विभाग विभिन्न योजनाओं गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिक परिमाण में अतिरिक्त आवश्यकताओं का प्रतिवेदन विधायिका को देते हैं, लेकिन अंततः मूल बजट प्रावधान को भी व्यय करने में वे असमर्थ रहते हैं, जिससे सम्पूर्ण पूरक प्रावधान या उसके शेष भाग अनावश्यक हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, अप्रयुक्त धन का उपयोग अन्य जरूरतमंद विभागों द्वारा नहीं किया जा सका। कभी–कभी कुछ योजनाएँ निधि के अभाव में अधूरी रह गईं।

वर्ष 2019–20 के दौरान यह देखा गया कि, वित्त लेखे के परिशिष्ट–IX में उल्लिखित, 143 अधूरी परियोजनाएँ थी जिन्हें वर्ष के दौरान पूरा किया जाना था। ₹ 3,396.64 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध मार्च 2020 तक केवल ₹ 1,000.85 करोड़ का व्यय किया गया था। अपूर्ण परियोजनाओं की विवरणी जो की वर्ष 2019–20 में पूर्ण होनी थी, तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12: 2019–20 के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना/परियोजना का नाम (अनुमानित लागत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	योजना/परियोजना की अनुमानित लागत	2019–20 के दौरान व्यय	31 मार्च 2020 तक व्यय	बकाया भुगतान
1	जहानाबाद जिले में मंडई बांध, एफ्लक्स बांध, गाइड बांध हैड रेगुलेटर, इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु अवशेष कार्य	2019-20	232.84	2.85	30.10	82.44
2	सारण जिले में पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली बिहार (सारण मुख्य नहर और इसकी वितरण प्रणाली), बिहार (नई प्रमुख ईआरएम) समूह–02 (पुराना समूह–07)	2019-20	201.52	0.54	6.42	0[16]
	योग		**434.36**	**3.39**	**36.52**	**82.44**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के लिए वित्त लेखे)

योजनाओं के अधूरे होने के कारण उसका अपेक्षित लाभ जनता तक नहीं पहुँचाया जा सका। इसके अतिरिक्त, इससे परियोजना लागत में वृद्धि होती है।

3.4.2 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सामाजिक कल्याण एवं अन्य योजनाओं से संबंधित, प्रमुख नीतियों की घोषणा बजट में की गयी। इस विषय पर 44 में से 13 विभागों ने जवाब दिया है।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि बजट प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रमुख नीतियों की पहल की गई परन्तु प्राक्कलन में पुनरीक्षण के कारण इसका निष्पादन नहीं किया गया या कोई व्यय नहीं किया गया जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

[16] विभाग द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गए

तालिका 3.13: नीतियाँ जिनके लिए प्रावधान किया गया परन्तु संशोधित प्राक्कलन में वापस लिया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन
1.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोचिंग	5.00	0.00
2.		अल्पसंख्यक शिल्पकार तथा शिक्षित युवा कर्मकार के प्रशिक्षण हेतु (मुख्य मंत्री)	5.00	0.00
3.		बहुमुखी विकास योजना (मेरीट–कम–मीन्स, प्री–मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	1.00	0.00

(स्रोतः विभाग से प्राप्त आँकड़ें)

तालिका 3.14: नीतियाँ जिनके लिए प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय
1.	अल्पसंख्यक कल्याण	वक्फ के सम्पतियों का संधारण तथा सुरक्षा	5.00	1.00	0.00
2.		बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना	40.00	22.50	0.00
3.		अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय	12.00	9.00	0.00
4.	ग्रामीण कार्य	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1200.00	400.00	0.00

(स्रोतः विभागों से प्राप्त आँकड़ें)

यह लाभार्थियों को उद्दिष्ट लाभ से वंचित करता है। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को निधि से वंचित करता है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

3.4.3 वित्तीय शक्ति का उल्लंघन–पुनर्विनियोग के संबंध में

वर्ष 2019–20 के पुनर्विनियोग के आँकड़ों की जाँच से पता चला कि पाँच अनुदानों के अन्तर्गत ₹ 0.90 करोड़ का व्यय पुनर्विनियोजन के माध्यम से उन प्रयोजनों पर हुआ जिसके लिये बजट में प्रावधान मौजूद नहीं था, जहाँ पुनर्विनियोजन आदेश वित्त विभाग से स्वीकृत किया गया था। 12 अनुदानों के अन्तर्गत 24 मामलों में, ₹ 148.73 करोड़ का पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान से किया गया, जो एक निश्चित उद्देश्य हेतु प्रस्तावित अनुपूरक अनुदान के उद्देश्य को विफल करता है। अनुदान लेखा परीक्षा पंजी की लेखापरीक्षा के दौरान, पुनर्विनियोग का ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया जिसमें दायित्व का प्रभार सम्मिलित हो, जिसे वित्तीय वर्ष से आगे बढ़ाया जाना संभावित हो और न ही पुनर्विनियोग के निर्धारित प्रारूप से कोई विचलन था।

अनुदान या विनियोगों के अन्तर्गत अनुज्ञेय पुनर्विनियोजन, वर्ष के अन्तर्गत कभी भी स्वीकृत होनी चाहिए परन्तु वर्ष के समाप्ति के पश्चात नहीं। दो अनुदानों के अन्तर्गत तीन मामले ऐसे थे जिसमें पुनर्विनियोजन 31 मार्च 2020 के बाद किया गया जैसा कि **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: 31 मार्च 2020 के बाद पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं. तथा नाम	विभाग का पत्र सं. तथा तिथि		वित्त विभाग में पावती की तिथि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पत्रांक संख्या तथा तिथि		राशि
		पत्रांक संख्या	तिथि		पत्रांक संख्या	तिथि	
1.	1–कृषि विभाग	1326	28.04.2020		433	31.03.2020	0.10
2.	2–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1092	24.03.2020	20.04.2020	454	31.03.2020	1.20
		1093			455	31.03.2020	0.06
कुल							**1.36**

(स्रोतः विभागों के पुनर्विनियोजन पत्र)

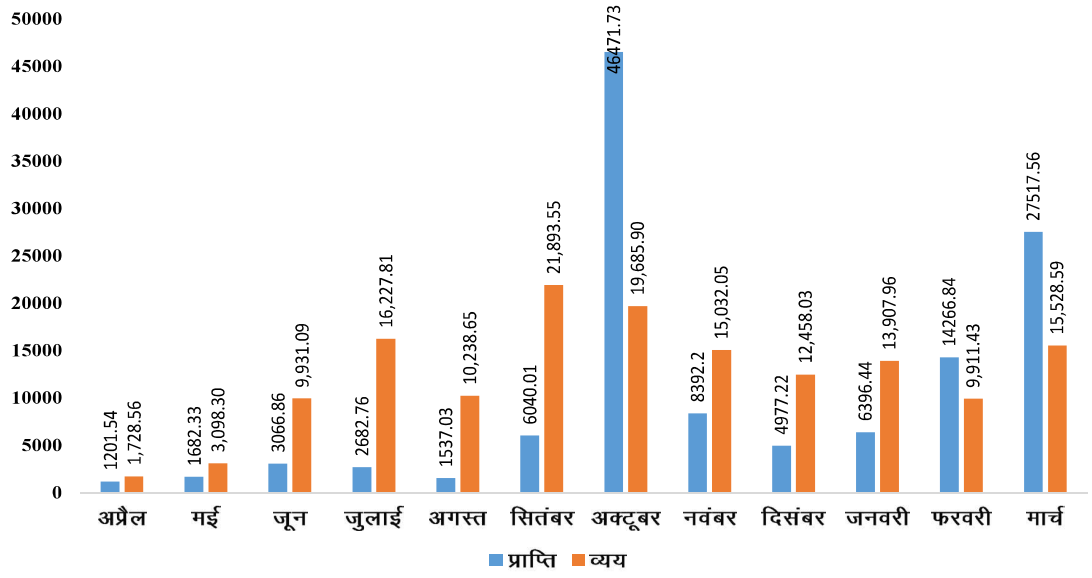
3.4.4 सघन व्यय

बि.ब.मै. यह निर्धारित करता है कि विलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज करना चाहिए जब तक कि अपरिहार्य न हो। वर्ष के अंत में किसी संवितरण अधिकारी के व्ययाधीन राशि अक्सर फिजूलखर्ची और जल्दबाजी में खर्च को आमंत्रित करती है। व्यय का एक समान प्रवाह बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के अंतिम तिमाही तथा मार्च 2020 माह में व्यय की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान, नौ विभागों के अन्तर्गत कुल व्यय (₹ 7,995.88 करोड़) में से (₹ 4,890.92 करोड़) 61.17 प्रतिशत का व्यय अंतिम तिमाही में एवं (₹ 4,172.75 करोड़) 52.19 प्रतिशत का व्यय माह मार्च 2020 में किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 3.9*** में विस्तृत है। माह मार्च 2020 में 13 अनुदानों के 30 विस्तृत शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,020.75 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान के व्यय के प्रकरण थे जिनका विवरण ***परिशिष्ट 3.10*** में दिया गया है। वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का माहवार प्रवृत्ति को **चार्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.7: वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के मासिक प्राप्तियाँ और व्यय

(₹ करोड़ में)



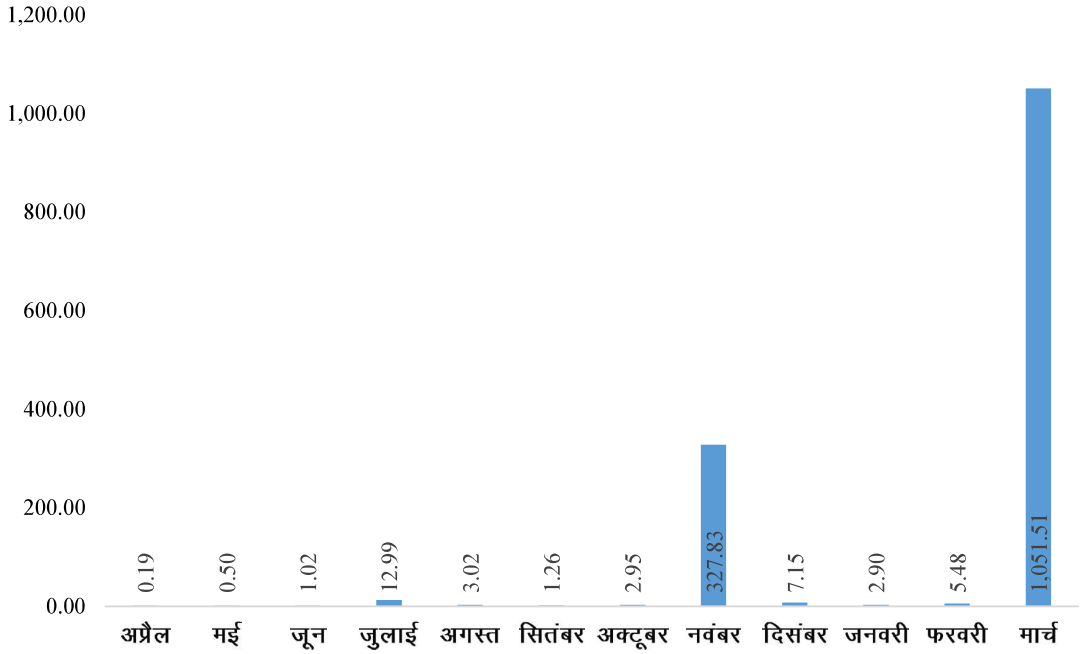
(स्रोतः वर्ष 2019–20 के मासिक व्यय प्रतिवेदन)

केन्द्रीय करों (56 प्रतिशत) की शुद्ध आय का बड़ा हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान (32 प्रतिशत) अक्टूबर, 2019 में प्राप्त हुआ था। इसी तरह, मार्च 2020 में केंद्रीय कर (19 प्रतिशत) और सहायक अनुदान (38 प्रतिशत) प्राप्त हुए थे। तदनुसार अक्टूबर से मार्च के व्यय में इसके अनुसार वृद्धि हुई थी।

इसके अतिरिक्त, **परिशिष्ट 3.9** से पता चलता है कि मार्च 2020 में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (74.22 प्रतिशत) के अंतर्गत सर्वाधिक व्यय हुआ। मासिक व्यय नीचे **चार्ट 3.8** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.8: मार्च में व्यय की अत्यधिक प्रतिशतता के साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का माहवार व्यय

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2019–20 के मासिक व्यय प्रतिवेदन)

इस प्रकार वर्ष के अंतिम भाग में विभाग द्वारा वृहत राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन एवं प्रभावी व्यय नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय वित्तीय औचित्य का उल्लंघन है।

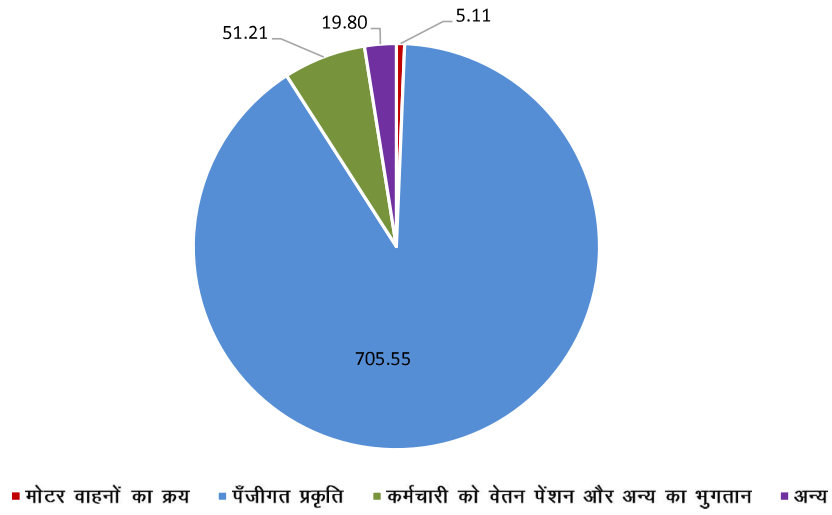
3.4.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि को स्थापित किया गया।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 2015 के द्वारा बिहार सरकार ने 01 अप्रैल 2019 से 30 मार्च 2020 की अवधि के लिए निधि के कोष को अस्थायी रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 8,020.04 करोड़ कर दिया। यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा एवं भूकम्प तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के राज्यांश को पुरा करने के लिए जिसके लिए बजट प्रावधान न किया गया हो एवं व्यय को तत्काल किया जाना हो, के लिए था। बढ़ाई गई कुल राशि के पचास प्रतिशत का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जाना था। तुलना करने पर, भारत सरकार की आकस्मिकता निधि कोष केवल ₹ 500 करोड़ थी। यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 3,529.76 करोड़ की राशि के 85 आहरण किये गये जिसमें से कुल ₹ 781.67 करोड़ (21.15 प्रतिशत) के 33 आहरण गैर–आकस्मिक व्यय के लिए किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 3.11*** में विस्तृत है।

चार्ट 3.9: आकस्मिकता निधि से गैर–आकस्मिक व्यय

(₹ करोड़ में)



(स्रोतः वित्त विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)

इस प्रकार, एक नियमित बजट में उल्लिखित धनराशि प्रदान करने के बजाय, इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आकस्मिक निधि से स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, आकस्मिकता निधि के विश्लेषण से पता चला कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर राहत और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के राज्यांश को पूरा करने के लिए अस्थायी आधार पर इसे नियमित रूप से बढ़ाया[17] जाता रहा है। तथापि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय आकस्मिकता निधि से आहरित निधि के 34.52 से 78.77 प्रतिशत के बीच था जैसा कि **तालिका 3.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	आकस्मिक निधि से कुल व्यय	प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
1	2015-16	6,117.60	2,205.00	36.04
2	2016-17	4,416.63	1,524.42	34.52
3	2017-18	4,949.21	3,898.33	78.77
4	2018-19	4,353.49	1,725.00	39.62
5	2019-20	3,529.76	2,332.00	66.07

(स्रोतः वित्त विभाग के अभिलेख)

यद्यपि, वित्त विभाग पर उपरोक्त नियमित व्यय के लिए बजटीय प्रावधान करने और इसे वार्षिक बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में अपेक्षित पूर्व विधायी अनुमोदन प्राप्त करने का दायित्व था। वित्त विभाग इन संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल हुआ है और आकस्मिकता निधि का उपयोग अग्रदाय खाते के रूप में किया जा रहा है।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2019–20 में, बचत, आधिक्य एवं माँग की विस्तार तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर अनुदान संख्या 16–पंचायती राज विभाग अनुदान संख्या 51–समाज कल्याण विभाग की बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा, संचालित की गयी। समीक्षा के परिणाम निम्नवत हैः

[17] 2013–14 में 1800 करोड़, 2014–15 में 2,000 करोड़, 2015–16 में 4,827.41 करोड़, 2016–17 में 5787.85 करोड़, 2017–18 में 6,403.42 करोड़, 2018–19 में 7079.61 करोड़ एवं 2019–20 में 8020.04 करोड़ की वृद्धि की गई

3.5.1 अनुदान संख्या 16 ''पंचायती राज विभाग''

73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 में किए गए प्रावधानों के अनुसरण में, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य में 8,386 ग्राम पंचायतें, 534 पंचायत समितियाँ और 38 जिला परिषदें कार्यरत हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अनुदान संख्या 16 के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित चार मुख्य शीर्ष (2515, 4515, 2015 और 3451) थे, जैसा कि **तालिका 3.17** में संक्षेपित है।

तालिका 3.17: 2019–20 के लिए सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रतिशत में बचत
राजस्व दत्तमत	11,956.31	1,420.04	13,376.35	8,689.62	4,686.73	35.04
पूँजी दत्तमत	250.00	0.00	250.00	45.13	204.87	81.95
कुल	**12,206.31**	**1,420.04**	**13,626.35**	**8,734.75**	**4,891.60**	**35.90**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

वर्ष 2019–20 के अभिलेखों की संवीक्षा के परिणाम निम्नवत हैः

₹ 4,891.60 करोड़ (35.90 प्रतिशत) की बचत विभाग द्वारा प्रावधान के अनुचित आकलन को दर्शाती है। पिछले चार वर्षों के आँकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि राजस्व खंड के अन्तर्गत बचत हाल ही (2018–19 में) में लागू योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (0 प्रतिशत), मुख्यमंत्री निश्चय योजना (39 प्रतिशत), और मुख्यालय पंचायत स्थापना (02 प्रतिशत) के अन्तर्गत कम खर्च के कारण थी। इसके अतिरिक्त, पूँजीगत खंड के में बचत, पंचायत सरकारी भवन योजना के अन्तर्गत 2018–19 में (0 प्रतिशत), 2019–20 में (18 प्रतिशत) मे कम खर्च के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 2515 के अंतर्गत ₹ 10,887.47 करोड़ के मूल प्रावधान के विरूद्ध किए गए केवल ₹ 8,217.97 करोड़ के व्यय के परिणामस्वरूप ₹ 2,669.50 करोड़ की बचत हुई। तथापि, मूल प्रावधान के अंतर्गत बचत के बावजूद ₹ 1,420.04 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया जो अनावश्यक था ***(परिशिष्ट 3.12)***। ऐसी योजनायें जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ मुख्यमंत्री निश्चय योजना, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों, प्रखंड पंचायत और ग्राम पंचायत में अंशदान हैं।

दो मुख्य शीर्षों अर्थात् 2015 तथा 2515 के अंतर्गत दो योजनाओं में मार्च 2020 माह में कुल व्यय ₹ 15.90 करोड़ का का 63.90 प्रतिशत तक व्यय किया गया था ***(परिशिष्ट 3.13)***।

विभाग द्वारा उचित समाशोधन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 181.08 करोड़ तक के व्यय के आँकड़ों में अंतर पाया गया ***(परिशिष्ट 3.14)***।

₹ 91.48 करोड़ के ए0सी0 विपत्र बकाया थे जिसके लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा डी0सी0 विपत्र जमा नहीं किए गए थे (***परिशिष्ट 3.15***)।

वर्ष 2003–04 से 2018–19 तक ₹ 19,975.51 करोड़ मूल्य के उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31 मार्च 2020 तक बकाया थे (***परिशिष्ट 3.16***)।

मुख्य शीर्ष 2515 के अंतर्गत पाँच उपशीर्षों के ₹ 99.78 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा एवं अभ्यर्पित कर दिया गया। आवंटन का पूर्णतया उपयोग न होने एवं परिणामी समर्पण का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2021)।

तालिका 3.18: निधियों का समर्पण और शत–प्रतिशत अनुपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पण
1	2515-00-198-0215- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	62.75	00	62.75
2	2515-00-789-0214- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	12.06	00	12.06
3	2515-00-796-0220- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आर0जी0एस0ए0)	0.97	00	0.97
4	2515-00-101-0514- पंचायती राज प्रणाली और मानव संसाधन विकास (ई0ए0पी0)	9.00	00	9.00
5	2515-00-789-0513- पंचायती राज प्रणाली और मानव संसाधन विकास (ई0ए0पी0)	15.00	00	15.00
योग		**99.78**	**00**	**99.78**

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

3.5.2 अनुदान संख्या– 51 "समाज कल्याण विभाग"

समाज कल्याण विभाग महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं अन्य वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समाज में के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य के महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। महिला विकास निगम (म0वि0नि0) और स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर (सक्षम) भी स्वायत्त संस्थानों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस अनुदान के अन्तर्गत पाँच मुख्य शीर्ष (2210, 2235, 2236, 2251 एवं 4235) संचालित थे। दत्तमय व्यय के अन्तर्गत, कुल बजट प्रावधान, संवितरण, और बचत/आधिक्य की एक सारभूत स्थिति **तालिका 3.19** में वर्णित है।

तालिका 3.19: वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान	संवितरण (व्यय)	बचत/आधिक्य	बचत की प्रतिशतता
दत्तमत	दत्तमत	दत्तमत	
9,715.33	8,208.44	1,506.89	15.51

(स्रोतः वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, कुल प्रावधान ₹ 9,715.33 करोड़ की तुलना में, किया गया व्यय ₹ 8,208.43 (84 प्रतिशत) करोड़ था।

पूर्ववर्ती पाँच वर्षों (2015–20) के दौरान दत्तमत व्यय के अन्तर्गत संवितरण की प्रवृत्ति का विश्लेषण **तालिका 3.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.20: 2015–20 के दौरान संवितरण और बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान	संवितरण (व्यय)	बचत/अधिक (प्रतिशत में)
	दत्तमत	दत्तमत	दत्तमत
2015-16	6,830.25	5,367.46	1,462.79 (21.42)
2016-17	6,819.83	5,210.65	1,609.18 (23.60)
2017-18	6,131.88	5,837.28	294.60 (4.80)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान	संवितरण (व्यय)	बचत/अधिक (प्रतिशत में)
	दत्तमत	दत्तमत	दत्तमत
2018-19	9,755.93	6,395.16	3,360.77 (34.45)
2019-20	*9,715.33*	*8,208.44*	*1,506.89 (15.51)*

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा 2015–16 से 2019–20, बिहार सरकार)

उपरोक्त तालिका से देखा गया कि 2015–16 से 2019–20 के दौरान बचत 4.80 से 34.45 प्रतिशत के मध्य रही।

इस विषय को इंगित किए जाने पर, यह उत्तर दिया गया (फरवरी 2021) कि बचत मुख्य रूप से लाभार्थियों की कम संख्या, और ग्रामीण विकास विभाग से अंशदान प्राप्त न होने आदि के कारण थी।

वर्ष 2019–20 के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित का प्रकटीकरण हुआ

- ₹ 136.01 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वर्ष 2019–20 के दौरान मूल प्रावधान का भी उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 3.17)***। ₹ 7,816.96 करोड़ में से ₹ 7,154.07 करोड़ का व्यय किया गया था, और ₹ 662.89 करोड़ की राशि 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित की गई थी। बचत मुख्य रूप से कुछ मदों में अधिक प्रावधान के कारण, भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश हिस्सा के रूप में सहायता अनुदान की प्राप्ति नहीं होने के कारण, भारत सरकार द्वारा निधि की कम स्वीकृति व निधि की स्वीकृति नहीं होना, योजना की स्वीकृति नहीं होना, भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों की श्रेणियों में परिवर्तन, आदि ***(परिशिष्ट 3.18)*** के कारण हुई। योजना से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि कम व्यय के कारण योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बुरी तरह बाधित हुआ।
- विभाग द्वारा चलाई जा रही 21 योजनाओं/कार्यक्रमों में, मार्च 2020 के महीने में 26 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के बीच व्यय किया गया था, और पाँच योजनाओं/कार्यक्रमों में केवल मार्च 2020 में ही शत प्रतिशत व्यय किया गया था। यह इंगित करता है कि व्यय का एकसमान प्रवाह बनाए नहीं रखा गया था, जो कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता थी।

 यह उत्तर दिया गया (फरवरी 2021) कि भारत सरकार की धनराशि किश्तों में प्राप्त हुई थी, इसलिए, भारत सरकार और बिहार सरकार की आनुपातिक निधि के आवंटन में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए मार्च महीने में निकासी अन्य महीनों की अपेक्षा अधिक हुई।
- वर्ष 2003–19 के दौरान, सहायता अनुदान के रूप में ₹ 33,899.23 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से केवल ₹ 23,340.75 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किए गये थे और परिणामस्वरूप सितंबर 2020 तक ₹ 10,558.48 करोड़ की उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थी। 17 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थी जो बी०एफ०आर० के प्रावधानों का उल्लंघन है। उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में आयु–वार बकायों का विवरण ***परिशिष्ट 3.19*** में दिया गया है।
- वर्ष 2002–2020 के दौरान, सार आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 2,412.82 करोड़ की राशि आहरित की गई थी, जिसके विरुद्ध मार्च 2020 तक ₹ 2,213.62 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र जमा किए गए थे। इसलिए, ₹ 199.20 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र मार्च 2020 तक बकाया थे। इससे व्यय का संभावित अतिदर्शित होता है। वर्ष 2019–20 में व्यय 31 मार्च 2020 तक समायोजन की प्रतीक्षा में बकाया सार आकस्मिक विपत्रों का विवरण ***परिशिष्ट 3.20*** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 2015–20 के दौरान, सार आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 94.37 करोड़ की राशि की निकासी की गई थी, जहाँ वित्तीय वर्ष (मार्च) के अंतिम महीने में ₹ 19.22 करोड़ (20.37 प्रतिशत) की निकासी की गई थी, जैसा कि **तालिका 3.21** में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016–17 और 2017–18 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में सार आकस्मिक विपत्रों के

माध्यम से धन की निकासी हुई जो इंगित करता है कि यह मुख्य रूप से बजटीय प्रावधान में शेष राशि को समाप्त करने के लिए किया गया था।

तालिका 3.21: मार्च माह में ए.सी. बिलों पर आहरण का प्रवृति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सार आकस्मिक विपत्रों पर निकासी	मार्च के महीने में सार आकस्मिक विपत्रों पर निकासी	मार्च के महीने में सार आकस्मिक विपत्रों पर निकासी का प्रतिशत
2015-16	39.44	10.31	26.14
2016-17	13.47	13.47	100
2017-18	0.41	0.34	82.93
2018-19	58.10	9.70	16.70
2019-20	1.32	0.10	7.57
कुल	**94.37**	**19.22**	**20.37**

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार द्वारा संधारित भी0एल0सी0 डेटाबेस)

- बि0को0सं0 2011 के नियम 194 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा व्यय की मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण, जिसके लिए आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण और सहायक अभिश्रव उपलब्ध नहीं हैं, सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्रों पर किए जाते हैं। ए0सी0 बिल के माध्यम से व्यय केवल आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए न कि नियोजित गतिविधियों को पूरा करने के लिए। 2015–20 के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 11.36 करोड़ (12 प्रतिशत) की राशि सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित की गई थी लेकिन उसे पूँजी शीर्ष (4235) पर खर्च किया गया था जैसा कि **तालिका 3.22** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.22: 2015–20 के दौरान पूंजी शीर्ष के लिए आहरित ए0सी0 बिलों का प्रवृति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सार आकस्मिक विपत्रों आहरण	पूंजी शीर्ष के लिए आहरित ए0सी0 बिल (प्रतिशत)
2015-16	39.44	3.74 (9.48)
2016-17	13.47	7.18 (53.30)
2017-18	0.41	0.33 (80.48)
2018-19	58.10	0
2019-20	1.32	0.11 (8.33)
कुल	**94.37**	**11.36 (12.04)**

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार द्वारा संधारित वी0एल0सी0 डेटाबेस)

प्रवृत्ति विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विभाग वर्ष 2018–19 को छोड़कर वर्ष–दर–वर्ष सार आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से पूँजीगत व्यय कर रहा है। पूँजीगत व्यय की योजना पहले से बनाई जानी चाहिए थी और व्यय का मार्ग पूरा करने के लिए सार आकस्मिक विपत्र का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए था। यह केवल वस्तुनिष्ठ–स्तरीय नियोजन की कमी, राशि के आहरण के समय व्यय की मदों के बारे में सुचना की कमी और स्वीकृत राशि के समर्पण को रोकने की प्रवृत्ति को इंगित करता है। अतः बिहार कोषागार संहिता 2011 के प्रावधान के विरुद्ध, पूँजीगत व्यय करने के लिए सार आकस्मिक विपत्र आहरित किए गए थे।

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदान किया गया अभिश्रव स्तरीय कम्प्यूटरीकरण (वी0एल0सी0) आँकड़ों की जाँच में पाया गया कि 2017–18 के दौरान समाज कल्याण विभाग में ₹ 70.00 करोड़ के सहायता अनुदान को गलत रूप से पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

योजनाओं की जांच में निम्नलिखित पाया गया।

- **निधियों का अनावश्यक अवधारण**

जिला कार्यक्रम अधिकारी, पटना से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2021 से मार्च 2021) के दौरान यह पाया गया कि सामग्री की खरीद और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2014–15

से 2018–19 के बीच कुल 16 बिलों से ₹ 4.02 करोड़ की राशि को कोषागार से आहरित किया गया था। इस अवधि में किया गया व्यय ₹ 3.05 करोड़ था और ₹ 0.97 करोड़ की राशि रोकड़ बही के अंत शेष में निरुपयोगी थी। इस प्रकार, बिहार कोषागार संहिता का उल्लंघन कर आहरित धनराशि (एक साल पांच माह से पांच साल नौ माह) तक डी0पी0ओ0 के पास निष्क्रिय पड़ा रहा।

वर्ष 2005–06 से 2016–17 की अवधि के दौरान 24 मामलों में यह पाया गया कि मुख्य शीर्ष 2235, 2236 और 4235 के तहत सार आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध ₹ 46.33 करोड़ की राशि आहरित की गई थी, जिसमें से केवल ₹ 5.18 करोड़ की राशि के लिए विस्तृत आकस्मिक विपत्र समर्पित किये गए। इन विस्तृत आकस्मिक विपत्रों में से ₹ 4.95 करोड़ (96 प्रतिशत) की राशि एक साल आठ माह से 13 साल 05 माह तक की अवधि के लिए अवधारण के बाद कोषागार में प्रेषित की गई थी।

यह भी देखा गया है कि 2003–04 से 2017–18 के दौरान मुख्य शीर्ष 2235 के तहत चार मामलों में सहायता अनुदान के रूप में ₹ 56.42 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। समर्पित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की नमूना जाँच से पता चला कि एक साल 10 माह से 13 साल 10 माह के विलम्ब के बाद कुल ₹ 24.15 करोड़ कोषागार में वापस प्रेषित किए गए थे।

3.6 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के प्रचलन की निगरानी करनी चाहिए ताकि अनावश्यक प्रावधान न हों, निधियों को अनावश्यक रूप से नहीं रखा जाय, और अंतिम समय के अभ्यर्पण का सहारा लिए बिना और आवंटन को व्यपगत किए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पित किया जाय। सरकार को चाहिए:

- सुनिश्चित करे कि सभी प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित कर दी गई है ताकि निधियों का उपयोग अन्य विकास उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
- कि लगातार बचत के कारणों की समीक्षा करें और आवंटित राशि का अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
- कि अनुदान नियंत्रक अधिकारियों के पुनर्विनियोग प्रस्तावों पर तभी सहमति दें जब प्रवृत्ति व्यय इनके लिए न्यायसंगत हो।
- कि धन का समय पर समर्पण सुनिश्चित करे और अभ्यर्पण को कम करने के लिए विभागों को समय पर बजटीय निर्गत की एक प्रणाली विकसित करे।
- वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय आधिक्य को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाये।
- कि एक सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम0आई0एस0) तैयार करें जो डी0डी0ओ0 के स्तर पर आहरित ए0सी0 बिलों की अव्ययित राशि को बाहर निकालने में मदद करती है जो निधियों को आहरित करते हैं और व्यय नहीं की गयी शेष राशि को वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले समेकित निधि में स्थानांतरित करने में विफल रहते हैं।